NAME **PLACE** DATE Business Standard All Editions 17-07-2020 RSWM LIMITED RSWM Limited CIN:L17115RJ1960PLC008216 Registered Office: Kharigram, P.O. Gulabpura-311021, Distt. Bhilwara, Rajasthan; Phone: +91-1483-223144 to 223150, 223478 Fax: +91-1483-223361, 223479 Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201301 (U.P) Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841 E-mail: rswm.investor@Injbhilwara.com; Website: www.rswm.in NOTICE TO SHAREHOLDERS Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account Notice is hereby given to the Shareholders pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules 2016") and as amended time to time. The IEPF Rules 2016, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the Shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner In accordance with the Rules, all the underlying shares in respect of which dividend are not paid /claimed for the last 7 (Seven) years from financial year 2012-13, have to be transferred to the Demat account of IEPF Authority. The Company has already sent Individual notices by Speed Post at the latest available addresses of the shareholders, whose dividends are lying unclaimed for last 7 (seven) years, advising them to claim the dividends expeditiously. The Company has also uploaded full details of such shareholders including their names, folio nos. or DP ID/ Client ID, etc. on its websites i.e. www.rswm.in. Accordingly, the concerned shareholders are requested to reply and claim their entire unclaimed dividend before due date. The unclaimed dividend for the financial year 2012-13 will be due for transfer on 24th October, 2020 and will be transferred on or before 23rd November, 2020. In case the Company/ Registrar and Transfer agent doesn't receive any communication from shareholders, the Company shall with a view to comply with the Rules, transfer such shares to the Demat account of IEPF Authority. Shareholders holding shares in physical form may note that the Company would issue duplicate share certificate(s) and inform the depository to dematerialize the same to effect the transfer in favour of the IEPF authority. Equity shares held in Demat mode will be directly transferred to IEPF authority with the help of depository participants (DPs). No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to the IEPF Authority. Shareholders may note that shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares (except Right issue), if any, can be claimed back from IEPF authority as per the procedures prescribed under the Rules. For any clarification on this matter, shareholders may contact Registrar and Transfer Agent: MCS Share Transfer Agent Ltd.

(Unit: RSWM Ltd.) F-65, First Floor, Okhla Industrial Area

Phase-I, New Delhi-110 020 Phone No. 011-41406149-52, Fax No. 011-41709881

Date : 16th July, 2020 Place: Noida (U.P.)

Email Id: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

For RSWM LIMITED

FCS: 2615

NAME	PLACE	DATE
Dainik Navjoyti	Ajmer	17-07-2020
आर एस डब्लू एम लिमिटेड सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216 पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा—311021 जिला भीलवाडा, राजस्थान		
फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479 कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.) फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841		
ईमेल: rswm.investor@Injbhilwara.com; वेबसाइट: www.rswm.in अंशधारकों हेतु सूचना		
कम्पनी के समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि		
(आईईपीएफ) खाता में हस्तांतरण		
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम 2016") और समय—समय पर संशोधित, के प्रावधानों के अनुपालन में अंशधारकों को एतद द्वारा सूचना दी जाती है। आईईपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों, जिनके सम्बन्ध में लगातार 7 वर्षों से लामांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल हैं। नियमों के अनुसार, ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में गत् 7 (सात) वर्षों, वितीय वर्ष 2012–13 से लामांश की अदायगी/दावा नहीं किया गया है, को		
आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतिरत किया जाना है। कंपनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लामांश का दावा गत् (7) सात वर्षों से नहीं किया गया है, को शीघ्र लामांश का दावा करने हेतु सलाह देते हुए, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर स्पीड—पोस्ट के माध्यम से, व्यक्तिगत सूचना पहले ही प्रेषित कर दी है। कंपनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् www.rswm.in पर अपलोड कर दिया है।		
तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उत्तर दें तथा अपने सभी लाभांश का दावा नियत तिथि से पूर्व कर लें। वित्तीय वर्ष 2012—13 हेतु गैर—दावाकृत लाभांश 24 अक्टूबर, 2020 को हस्तांतरण हेतु देय हो जाएगा तथा 23 नवम्बर, 2020 अथवा उसके पूर्व हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यदि कंपनी / रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को अंशधारकों से कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी नियमों का पालन करने की दृष्टि से ऐसे अंशों को आईईपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी।		
भौतिक तौर पर अंशों के संघटक अंशघारक कृपया ध्यान दें कि कंपनी डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र(त्रों) को जारी करेगी और आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण को प्रमावित करने के लिए डिपॉजिटरी को इन्हें डीमैटेरियलाइज करने हेतु सूचित करेगी। डीमैट तौर पर संघटित समता अंशों को डिपोजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) की मदद से सीधे आईपीईपी प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित लावारिस लाभांश और समता अंशों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।		
अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी एकत्रित लाभों सिंहत (राइट्स इशू के अतिरिक्त), यदि हो, आईईपीएफ प्राधिकरण से नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर के प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, अंशधारक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं:		
(यूनिटः आर एफ—65, प्रथम फेज —1, नई फोन नंबरः 01	र ट्रांसफर एजेंट लिमेटेड एस डब्ल्यू एम लिमिटेड तत, ओखला इंडस्ट्रियल दिल्ली—110020 1—41406149—52, फैक्स न helpdeskdelhi@mcsre	एरिया नंबरः 011—41709881

दिनांक : 16 जुलाई, 2020 स्थान : नोएडा (उ.प्र.) कृते आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सुरेन्दर गुप्ता कम्पनी सचिव

एफसीएसः 2615